

गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों को सहूलयित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा पहली बार गैर-बैंकगि उधारदाताओं को उनके कार्य संचालन में सहूलयित देने के लिये महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

- केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी वर्तमान त्रसितरीय संरचना में परिवर्तन करके इन कंपनियों को एकल श्रेणी प्रदान की गई।
- साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी नरिणय लिया है कि कोर नविश कंपनियों को छोड़कर सभी गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Company-NBFC) का उनके क्रेडिट रेटगि के अनुसार भारति जोखमि का भी खुलासा कया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बढि

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा लिये गए दोनों नरिणयों की घोषणा पहली बार अंतमि द्वमिसकि समीक्षा में मौद्रकि नीति की वकिस और वनियामक नीतियों पर दयि गए अपने बयान के तहत की गई थी।
- इस अधसूचना में कहा गया है कि NBFC के परचालन को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिये इनकी संस्था को नयिमन के बजाय गतविधि सिद्धांत के आधार पर तैयार कया जाएगा।
- एसेट फाइनेंस कंपनियों, ऋणदाता कंपनियों और नविशक कंपनियों को एक साथ मलिकर 'गैर बैंकगि वित्तीय कंपनियों की नविश और क्रेडिट कंपनी' (NBFC-ICCs) के नाम से एक नई श्रेणी प्रदान की गई है।

गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनी

Non Banking Financial Company

- गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा वभिन्न प्रकार के शेयर्स, प्रतभूतियों, बीमा कारोबार तथा चटिफंड से संबंधति कार्यों में नविश करना है।
- गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह संस्थाओं का वजातीय समूह है (वाणजियकि सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो वभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है जैसे -
- जमा स्वीकार करना।
- ऋण और अग्रमि देना।
- प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में नधियों जुटाना।
- अंतमि वयय करतता को उधार देना।
- थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रमि ऋण देना।

स्रोत – द हदि, इकोनॉमकि टाइम्स